जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), कुमारबाग, प० चम्पारण।

कार्यालय आदेश

डी.एल.एड (रेगुलर) सत्र 2020–22 पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक–315 दिनांक–16.12.2020 एवं पत्रांक–320 दिनांक–24.12.2020 के द्वारा विज्ञप्ति में अंकित शर्तो एवं निर्धारित कैलेण्डर के अनुरुप विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर बिन्दू के आधार पर चयनित 150 (75 विज्ञान विषय एवं 75 कला/वाणिज्य विषय) के अभ्यर्थियों का प्रथम चयनित सूची से रिक्त सीटों के विरुद्ध द्वितीवक चयनित **सूची वेबसाइट www.dietkumarbag.co.in एवं संस्थान के सूचनापट्ट पर अपलोड/प्रकाशित किया गया है।**

आवश्यक निर्देशः–

- द्वितीयक चयनित सूची का नामांकन दिनांक–08.02.2021 से 10.02.2021 तक (विज्ञान एवं कला/वाणिज्य) विषय का किया जाएगा।
- निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक–320 दिनांक–24.12.2020 के आलोक में निर्धारित अहर्ता इन्टर/मौलवी दिनांक–21 जनवरी 2020 से पूर्व होना अनिवार्य है।
- निर्धारित तिथि को नामांकन के लिए सभी प्रकार के कागजात/वांछित प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित नहीं होने पर उनका दावा समाप्त हो जाएगा।
- वेबसाइट पर नामांकन हेतु निर्गत निदेश को देखकर और तदनुरूप चयनित सूची डाउनलोड कर चयनित अभ्यर्थी नामांकन हेतु निर्धारित तिथि को वांछित कागजात के साथ काउंसेलिंग कराने के पश्चात् ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए उसका पावती संस्थान के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।
- ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अनुसार शुल्क जमा कराना है।
- Online आवेदन के समय संलग्न प्रमाण–पत्रों की जांच के क्रम में यदि वांछित प्रमाण–पत्रों की अनुपलब्धता अथवा संलग्न प्रमाण–पत्रों के गलत पायें जाने पर अभ्यर्थी नामांकन से वंचित रह जायेंगें।
- प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर नामांकन के पश्चात् भी अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नही किया जाएगा।
- चयनित अभ्यर्थी चेक–लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र/कागजात साथ लायेगें।
- नामांकन के समय CLC/DLC का होना अनिवार्य होगा।
- नोट्री से शपथ पत्र – प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन के समय जिला स्तरीय व्यवहार न्यायालय के नोट्री से इस आशय का शपथ पत्र देना होगा जिसमे आवेदक के द्वारा दिए गए सभी प्रमाण–पत्र एवं जानकारी सही है कोई भी जानकारी/प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर नामांकन बिना सूचना के रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।
- नामांकन के समय सभी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कराना अनिवार्य है। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम अध्यापन संस्थान Distance Mode में हो तो संबंधित विश्वविद्यालय का प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) उस अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- Online शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया वेबसाइट/संस्थान के सूचनापट्ट पर उपलब्ध है। इसी के अनुसार शुल्क जमा कराना है।
- इस कार्यालय आदेश में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन अथवा कोई ऐसी सूचना/शर्तो जो अंकित नही की जा सकी है हो तो उसमें आंशिक संशोधन के साथ अलग से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आदेश निर्गत किया जा सकता है।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डायट, कुमारबाग, प० चम्पारण।

Principal
DIET KUMARBAGH
Champaran (Bihar)